



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265613
CG-DL-E-22082025-265613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3727]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 3727]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3832 (अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 515 (अ) दिनांक 03 फरवरी, 2021 द्वारा राजमार्ग एनएच-344एम, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बंकोली गांव के पास एनएच-44 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर नरेला, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका को जोड़ता है और भरतल चौक के पास एनएच-248बीबी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है और राजमार्ग एनएच-344एम, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिचाऊं कलां के पास एनएच-344एम के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर हरियाणा राज्य में बालौर गांव (बहादुरगढ़ बाईपास) के पास एनएच-9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त राजमार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और समय-समय पर संशोधित (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा ईपीसी मोड पर दिल्ली राज्य में 6-लेन शहरी विस्तार मार्ग (यूईआर- II)-एनएच-344एम, पैकेज 1 (एनएच-1 से कराला- कंझावला रोड, किमी. 0+700 से 15+000 तक), ईपीसी मोड पर दिल्ली राज्य में 6-लेन शहरी विस्तार मार्ग- II (यूईआर- II) - एनएच-344एम, पैकेज-2 (कराला कंझावला रोड से, किमी. 15+000 से नांगलोई नजफगढ़ रोड तक, किमी. 28+450), 6 लेन शहरी विस्तार मार्ग (यूईआर- II)-एनएच-344एम (पैकेज-3) नांगलोई-नजफगढ़ रोड (किमी. 28+450 से किमी. 38+111.43 तक चेनेज) से द्वारका सेक्टर 24 तक, ईपीसी मोड पर दिल्ली और हरियाणा राज्य में 4-लेन रोड लिंक (किमी. 0+000 से 7+269 तक, 7.3 किमी.)

एनएच 344एन, एनएच 344एम, दिल्ली (एनएच 344एम के किमी 26+135 पर या यूईआर-II) से शुरू होकर हरियाणा में एनएच-344एम (शहरी विस्तार रोड- II) पैकेज-5 के स्पर के रूप में बहादुरगढ़ के पास एनएच-10 के बहादुरगढ़ बाईपास तक के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 34.153 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई [सारणी-2] और 119.260 किमी. (संरचना की लंबाई 11.926 किमी., सारणी-3) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क की दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	वह दर जिस पर शुल्क संदेय है
दिल्ली में मुंडका-बक्करवाला के निकट रा.रा. 344एम के 22.750 पर	34.153 [संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी - 3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई (किमी में)	समकक्ष सड़क की लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
दिल्ली में मुंडका-बक्करवाला के निकट रा.रा. 344एम के 22.750 पर	11.926 ⁴	119.26	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

⁴ एवं 6 लेन संरचना का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी. में)
	किमी. से	किमी. तक		
एनएच-344एम पर				
1	-0+248	0+243	फ्लाईओवर	0.655
	-0+360	0+460	सुरंग	
2	2+974	3+859	सड़कोपरि पुल (आरओबी)	0.885

3	9+683	10+523	फ्लाईओवर	0.840
4	13+670	14+420	फ्लाईओवर	0.750
5	20+165	22+022	सड़कोपरि पुल (आरओबी) और फ्लाईओवर	1.857
6	26+488	28+244	फ्लाईओवर	1.756
7	29+564	32+115	फ्लाईओवर	2.551
8	32+934	33+850	फ्लाईओवर	0.916
9	37+293	37+443	बड़ा पुल	0.150
एनएच-344एन पर				
10	0+188	0+819	फ्लाईओवर	0.852
	0+000	1+074	फ्लाईओवर	
11	0+232	0+794	फ्लाईओवर	0.555
	0+232	0+780	फ्लाईओवर	
12	5+326	5+413	फ्लाईओवर	0.087
13	5+605	5+677	फ्लाईओवर	0.072
कुल				11.926

3. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/- रूपए (मात्र तीन सौ पचास रूपए) और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी - 4		
संदेय धनराशि	एकतरफा यात्रा की अधिकतम अनुमत संख्या	वैद्यमान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो -तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार से लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10के उप -नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007- 2008 के लिए प्रति कि.मी .शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 5212.40 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फ़ा. सं. पीआरओजे -18015(35)/1/2024- पीआईयू द्वारका/(ई-241073)]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3832(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 515(E) dated 03rd February, 2021 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the highway NH-344M starting from its junction with NH-44 near Bankoli Village connecting Narela, Mundka, Najafgarh, Dwarka and terminating at its junction with NH-248BB near Bhartal chowk in the NCT of Delhi and the highway NH-344N starting from its junction with NH-344M near Dichaun Kalan in NCT of Delhi and terminating at its junction with NH- 9 near Balaur village (Bahadurgarh Bypass) in the state of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 34.153 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 119.260 km (having structure length 11.926 km, Table-3) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of 6-lane Urban Extension Road (UER-II)-NH-344M, Package 1 (from NH-1 to Karala- Kanjhawala road, Km -0+700 to 15+000) in the state of Delhi on EPC mode, 6-Lane Urban Extension Road-II (UER-II) - NH-344M, Package-2 (From Karala Kanjhawala Road, Km 15+000 to Nangloi Najafgarh Road, Km 28+450) in the State of Delhi on EPC mode, 6-lane Urban Extension Road (UER-II)-NH-344M (Package-3) from Nangloi- Najafgarh Road (Chainage from km 28+450 to km 38+111.43) to Dwarka Sector 24, 4-Lane Road Link (from Km 0+000 to 7+269, 7.3 Km) NH 344N starting from, NH344M, Delhi (at Km 26+135 of NH 344M or UER-II) till Bahadurgarh bypass of NH-10 near Bahadurgarh in Haryana as Spur of NH-344M (Urban Extension Road-II) Package-5 in the state of Delhi & Haryana on EPC Mode and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 22.750 of NH-344M near Mundaka- Bakkarwala in Delhi	34.153 [Excluding length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 22.750 of NH-344M near Mundaka- Bakkarwala in Delhi	11.926 [^]	119.26	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details of 4 & 6 lane structure are as under:

Sr. no.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
On NH-344M				
1	-0+248	0+243	Flyover	0.655
	-0+360	0+460	Underpass	
2	2+974	3+859	Road Over Bridge (RoB)	0.885
3	9+683	10+523	Flyover	0.840
4	13+670	14+420	Flyover	0.750
5	20+165	22+022	Road over Bridge (RoB) & Flyover	1.857
6	26+488	28+244	Flyover	1.756
7	29+564	32+115	Flyover	2.551
8	32+934	33+850	Flyover	0.916
9	37+293	37+443	Major Bridge	0.150
On NH-344N				
10	0+188	0+819	Flyover	0.852
	0+000	1+074	Flyover	
11	0+232	0+794	Flyover	0.555
	0+232	0+780	Flyover	
12	5+326	5+413	Flyover	0.087
13	5+605	5+677	Flyover	0.072
Total				11.926

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 350 (Rupee Three Hundred and Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, Category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 5212.40 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-18015(35)/1/2024-PIU Dwarka /(E-241073]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.